

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंगलध, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक ११ सितम्बर, २०१०

क्रमांक एफ ११-०७/२००९/२/३४ : विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक २७.८.१० द्वारा निर्देशित किया गया है कि नलकूप खनन कार्य की निविदाएं केवल ई-टेंडरिंग के माध्यम से ही आमंत्रित की जाएं। इस आदेश में सामान्य रूप से इन निविदाओं को रुपये १०.०० लाख के समूहों में आमंत्रित किये जाने का उल्लेख किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अभियंताओं की दिनांक ७ एवं ८ सितंबर १० को सम्पन्न राज्य स्तरीय कार्यशाखा की अनुशंसाओं के अनुसार इस संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि यदि नलकूप खनन कार्य की निविदाओं की लागत रुपये १०.०० लाख से कम हो, तब भी ऐसी निविदाएं केवल ई-टेंडरिंग के माध्यम से ही आमंत्रित की जाएं।

यह सुनिश्चित करें कि आगामी वर्षाकाल प्रारंभ होने तक के लिए जो भी ऐसे नलकूप खनन कार्य आवश्यक हों, उन सभी कार्यों की निविदाएं अधिकतम माह जनवरी तक आमंत्रित कर, स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए तथा कार्यदेश केवल आवश्यकतानुसार मात्रा के दिये जाएं जिससे किसी भी स्थिति में जनवरी माह के उपरांत, अगले वर्षाकाल तक निविदाएं आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता नहीं हो तथा इस अवधि में स्थिति की आवश्यकतानुसार कार्य समय पर किये जा सकें।

इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए तथा अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियंता व्यक्तिगत रूप से इसका अनुश्रवण करें। यदि किसी भी जिले में इन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति पाई गई तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शरद कुमार जैन)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक ११ सितम्बर, २०१०

पु क्रमांक एफ ११-०७/२००९/२/३४
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश, भोपाल
2. सगस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश
3. सगस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश
4. सगस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश

की ओर सूचनाएं एवं पालनाएं।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4241/FWS
28-9-10

(SECM)
EECMIS

EMC
28/9/10

Gandhi

29/9/10

Sanjit me
(Vat Pat)

25/9/10